

## प्रपत्र-1

(देखें नियम - 4 का उप नियम -1)

### उद्घोषणा का प्रपत्र

जहानाबाद जिलान्तर्गत अंचल- (1) जहानाबाद-114, (2) काको-76 एवं (3) मखदुमपुर-88 राजस्व ग्राम के सभी भू-धारियों/लोक एवं सरकारी जमीन के अभिरक्षक सहित भूमि में हित रखने वाले सभी व्यक्तियों को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि अद्योहस्ताक्षरी द्वारा प्रतिनियुक्त अथवा प्राधिकृत कोई व्यक्ति ग्राम की सीमा एवं इसके भू-खंडों के सीमांकन या पहचान के लिए भू-खण्ड में प्रवेश कर सकते हैं। आपको निदेशित किया जाता है कि सर्वेक्षण के उद्देश्य से भू-खण्डों की पैमाईश/जाँच-पड़ताल करने तथा वृक्षों, जंगलों, खड़ी फसलों या ऐसी अन्य बाधाओं, जैसा अभी आवश्यक हो, को हटाने अथवा काटने में उन्हें सहयोग करें एवं उन्हें उनके कर्तव्यों के निर्वहन में किसी प्रकार का बाधा/अड़चन उत्पन्न न करें।

आपको यह भी निर्देश दिया जाता है कि अपने भू-खण्डों की सीमाओं को भू-खण्डों के सभी मोड़ पर मिट्टी का स्तंभ देकर उसे सीमांकित कर लें।

तिथि:-

ज्ञापांक:-

दिनांक:-

बन्दोबस्त पदाधिकारी का हस्ताक्षर

103

प्रतिलिपि:-

जिला सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, जहानाबाद को सूचनार्थ एवं प्रमुख दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित करने हेतु तथा जहानाबाद जिला अन्तर्गत विशेष भू-सर्वेक्षण का प्रचार-प्रसार विभिन्न माध्यमों से करने हेतु प्रेषित।

तिथि:-

ज्ञापांक:- 659

दिनांक:- 24/07/2021

बन्दोबस्त पदाधिकारी का हस्ताक्षर

104

प्रतिलिपि:-

आई0टी0 मैनेजर समाहरणालय, जहानाबाद को सूचनार्थ एवं जिले के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

तिथि:-

बन्दोबस्त पदाधिकारी का हस्ताक्षर

22/07/2021